राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

किशना / ओमप्रकाश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 198/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/7/21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने हमारा ध्यान आदेशिका दिनांक 06/04/2021 की ओर आकर्षित करा कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है अतः स्थगन पर सुनवाई कर विस्तृत निर्णय पारित किया जावे। अतः अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 10/03/2021के अवलोकन से यह स्पष्ट है की सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 10/03/2021 के माध्यम से पक्षकारान के जवाब, तलबी होने से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा देना उचित नही समझा, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है एवं चूँकी इस न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित आ गये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गुणावगुण पर सर्वप्रथम निस्तारण किया जाना न्यायोचित समझा जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर दोनों पक्षों की समुचित सुनवाई कर निस्तारण किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष दिनांक 30/07/2021 को उपस्थित पक्षकारो की समुचित सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उभयपक्ष कों जरिये अधिवक्ता यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30/07/2021 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में अपना - अपना पक्ष प्रस्तुत करे। इस हद तक अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 19/07/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	45(म) 6454 5-8-21

(मुहर: राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर)